- अधिकारी, बालूमाथ।

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

(1)

पत्रक – ता० नागेन्द्र यादव बनाम से मुकेश सिंह तक

– बालूमाथ जिला– लातेहार

का प्रकार विविधवाद वाद संख्या– 28 /2021–22

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
11.9.21	आवेदक नागेन्द्र यादव पिता स्व॰ मोहर महतो ग्राम- बसीया थाना- बालूमाथ द्वारा आवेदन दिया गया है। कि मौजा - बसीया के C.S खाता न० 69 प्लॉट 01 जिसका हाल सर्वे खाता न० 271 प्लॉट 44 रकबा 06.01 एकड़ बना है। C S मे रैयत निर्मित है। परन्तु RS खतियान मे अनावाद बिहार सरकार का नाम दर्ज हो गया है। उक्त भूमी के कुछ भाग में मुकेश सिंह पिता नरसिंह सिंह ग्राम- लातु पो. फुलसु थाना- बालूमाथ द्वारा अवैध निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। न्याय हेतु आवेदन के आलोक मे वाद की कारवाई आरम्भ की जाती है। अन्य पक्ष को नोटिस निर्गत करे। वाद की अगली तिथि मे अपने-अपने दावे के समर्थन में राजस्व कागजातो के साथ उपस्थित रहेंगे। वाद की अगली तिथि 21.9.21 को निर्धारित की जाती है। 11.9.21 अंचल अधिकारी बालूमाथ	8/2022 1416. नोटिस पाया बासुदेव सिंह [illegible]

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

(2)

---------------------------------- से ----------------------------------

...श पत्रक – ता० ---------------------- वाद संख्या– 28 /2021–22

...न – बालूमाथ जिला– लातेहार

...द का प्रकार ----------------------

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश ... गई कार... बारे में ... तारीख ...
1	2	3
21.5.21	अभिलेख उपस्थापित। दोनों पक्ष उपस्थित। दोनों पक्ष के द्वारा राजस्व कागजात प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्ष के द्वारा भूमि पर दावा प्रस्तुत किया गया। अभिलेख दिनांक 9.10.21 को उपस्थापित करें। 21.5.21 अंचल अधिकारी बालूमाथ	
09.10.2021	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष हाजिर। दोनों पक्ष की बातों को सुना। दोनों पक्षकार प्रश्नगत भूमि पर अपना दावा के सम्बंध में कागजात प्रस्तुत किए। राजस्व कर्मी एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 29.10.21 को रखें। 9.10.21 अंचल अधिकारी बालूमाथ	

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

(3)

आदेश पत्रक – ता० ---------------- से ---------------- तक

अंचल – बालूमाथ जिला– लातेहार वाद संख्या– 28 /2021–22

वाद का प्रकार ---- विविध वाद ----

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पण तारीख सहित
1	2	3
29.10.2021	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित हैं। उक्त पक्ष को पुनः एक अवसर दावा कागजात जमा करने हेतु दिया जाता है। वाद में जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 22.11.21 को रखें। 29.10.21 अंचल अधिकारी बालूमाथ	
22.11.21	अभिलेख उपस्थित। उक्त पक्ष उपस्थित। जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है। अभिलेख दिनांक 11.12.21 को रखें। 22.11.21 अंचल अधिकारी बालूमाथ	
11.12.2021	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष हाजिर। अधोहस्ताक्षरी के अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त रहने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी। वाद की अगली तिथि 10.01.2022 को निर्धारित की जाती है। 11.12.21 अंचल अधिकारी बालूमाथ	

नकलों के लिए

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

(4)

आदेश पत्रक – ता० ________________ से ________________

अंचल – बालूमाथ जिला– लातेहार वाद संख्या– 28 /2021–22

वाद का प्रकार – विविध वाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
10-01-2022	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। अधोहस्ताक्षरी के अन्य सरकारी कार्य मे व्यस्त रहने के कारण वाद की सुनवाई नहि हो सकी। वाद की अगली तिथि 12-02-2022 को निर्धारित की जाती है। 10.1.22. अंचल अधिकारी बालूमाथ
12-02-2022	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। अधोहस्ताक्षरी के अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त रहने के कारण वाद की सुनवाई नही हो सकी। वाद की अगली तिथि 12.03.2022 को निर्धारित की जाती है। अंचल अधिकारी बालूमाथ

Scanned with CamScanner

(4)

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

(5)

...त्रक – ता० ______ से ______ तक

... बालूमाथ जिला– लातेहार   वाद संख्या– 28 /2021–22

... का प्रकार — विविध वाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
18-3-2022	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। अधोहस्ताक्षरी के अन्य सरकारी कार्य मे व्यस्त रहने के कारण वाद की सुनवाई नही हो सकी। अभिलेख दिनांक 25.3.22 को उपस्थापित करें। [signature] अंचल अधिकारी बालूमाथ	
25.3.2022	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। राजस्व कर्मी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की। अभिलेख दिनांक 26.4.22 को दें। [signature] 25/3/22 अंचल अधिकारी बालूमाथ	

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

(6)

अ ———————— से ————————

अ आदेश पत्रक – ता० ———— वाद संख्या– 28 /2021–22

अंचल – बालूमाथ जिला– लातेहार

वाद का प्रकार ————————

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
26.4.22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। अधोहस्ताक्षरी के अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त रहने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी। अभिलेख दिनांक 8.6.22 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी बालूमाथ	
8.6.2022	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। अधोहस्ताक्षरी के अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त रहने के कारण। वाद की सुनवाई नहीं हो सकी। अभिलेख दिनांक 07.07.2022 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी बालूमाथ	

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

...क – ता० ———————— से ———————— तक

बालूमाथ जिला– लातेहार   वाद संख्या– 28 /2022–23

...का प्रकार विविध वाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
7-07-2022	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 27.07.2022 को उपस्थापित करें। [signature] 7.7.22 अंचल अधिकारी बालूमाथ	
27.07.2022	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। अधोहस्ताक्षरी के कार्य सरकारी कार्य में व्यस्त रहने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी। अभिलेख दिनांक 25.08.2022 को ~~उपस्थित~~ उपस्थापित करें। [signature] अंचल अधिकारी बालूमाथ	

कार्यालय : अंचल ...

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – ता० ———— से ————

अंचल – बालूमाथ जिला– लातेहार

वाद संख्या– 28 /2022–23

वाद का प्रकार ————

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
25-8-22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। उक्त पक्ष को नोटिस निर्गत करें। वाद को आदेश पर दिनांक 7-9-22 को रखें। ह० अंचल अधिकारी बालूमाथ	
7-9-2022	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। अधोहस्ताक्षरी के अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त रहने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी। अभिलेख दिनांक 19-09-2022 को उपस्थापित करें। ह० अंचल अधिकारी बालूमाथ	

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

(6)

...क – ता० ———————— से ———————— तक

बालूमाथ जिला– लातेहार   वाद संख्या– 28 /2021–22   (9)

...का प्रकार ————————

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
19.9.2022	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित प्रथम पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष (अनुपस्थित) चूंकि यह मामला अनावाद बिहार सरकार की भूमि से संबंधित है इसलिए इस वाद में अधिक समय की आवश्यकता नहीं है। वाद को आदेशार्थ दिनांक 29.9.22 को रखा जाता है। ह० 19.9.22 अंचल अधिकारी बालूमाथ	
29.9.22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष की बातों को सुना। उक्त भूमि R.S खाता में अनावाद सरकार की भूमि है। इस तथ्य के पाए जाने से वाद में सुनवाई उचित प्रतीत नहीं होती है। वाद को आदेश हेतु 12.10.22 को रखें। ह० अंचल अधिकारी बालूमाथ	

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

से

आदेश पत्रक – ता० ____ वाद संख्या– 28 /2021–22 10

अंचल – बालूमाथ जिला– लातेहार

वाद का प्रकार – सिविल वाद

आदेश की क०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
12.10.22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। आपकी योजना - आपकी सरकार: आपके द्वार कार्यक्रम में पदाधिकारी के व्यस्तता के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी। अभिलेख दिनांक 4.11.22 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी बालूमाथ	
4-11-22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। अधोहस्ताक्षरी के अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त रहने के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी। अभिलेख दिनांक 24.11.2022 को उपस्थापित करें। 4.11.22 अंचल अधिकारी बालूमाथ	

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

ता० ———————— से ———————— तक

बालूमाथ जिला– लातेहार   वाद संख्या– 23 /2021–22   (11)

तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
...-11-22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। सुनवाई नहीं हो सकी। अभिलेख दिनांक 06.12.2022 को उपस्थापित करें। (हस्ताक्षर) अंचल अधिकारी बालूमाथ	
6-12-22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित वाद को आदेश हेतु दिनांक 26/12/22 को रखें। (हस्ताक्षर) अंचल अधिकारी बालूमाथ	

Scanned with CamScanner

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

से

वाद संख्या- 28 /2021–22

आदेश पत्रक – ता०

अंचल – बालूमाथ जिला– लातेहार

वाद का प्रकार

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश की क्र०सं० और तारीख	2
1	
26-12-2022	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष लगातार अनुपस्थित रहे है। उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करे। अभिलेख दिनांक 16.1.22 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी बालूमाथ
16.1.23	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। कर्मचारी हल्का० के व्यस्तता के कारण आदेश नहीं हो पाया। अभिलेख को आदेश हेतु दिनांक 1.2.23 को रखें। अंचल अधिकारी बालूमाथ

Scanned with CamScanner

	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर (13)	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3
	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। सरकारी कार्यों में व्यस्तता के कारण वाद में आदेश नहीं हो पाया। अभिलेख को आदेश हेतु दिनांक 8.2.23 को रखें। 1.2.23 अंचल अधिकारी बालूमाथ	
8.2.23	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। आदेश हेतु पूर्व से तिथि निर्धारित है। प्रथम पक्षकार का कहना है की मौजा- बलिया, सी० एस खाता 69, सी० एस प्लाट-01, एवं अन्य प्लाट कुल रकबा - 14.38 ए० भूमि खास हुक्मनामा से मोहर महतो पिता- जगलाल महतो के नाम से प्राप्त है। अंचल कार्यालय से दाखिल खारिज क० होकर ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत है। CNT की धारा 87 के अंतर्गत राजस्व वाद सं० 1803/91 का आदेश भी पक्ष में पारित है। मेरी उक्त भूमि पर मुकेश सिंह पिता- जयचन्द सिंह के द्वारा आवास का निर्माण बलपूर्वक कराया जा रहा है। द्वितीय पक्षकार का कहना है कि मौजा- बलिया, सी० एस० खाता 69, सी० एस० प्लाट-11, रकबा - 7.80 डी० भूमि निबंधित केवाला के द्वारा मेरी माता गायत्री देवी पत्नि - जयचन्द सिंह	

के नाम से प्राप्त है। अंचल कार्यालय से दाखिल खारिज होकर आनलाईन लगान रसीद भी निर्गत है। इस भूमि पर आवास निर्माण करने से प्रथम पक्षकार रोक लगा रहे हैं।

उभय पक्षकारों के द्वारा अपनी दावेदारी हेतु राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। उपरोक्त सभी राजस्व कागजातों, साक्ष्यों का अवलोकन के पश्चात निम्न तथ्य सामने आए हैं —

i) प्रथम पक्षकार को C.S खाता से भूमि खास हुक्मनामा से प्राप्त है, जिसका आफलाईन लगान रसीद निर्गत है।

ii) द्वितीय पक्षकार को उक्त भूमि में 7.50 डी० भूमि रजिस्टर्ड केवाला से प्राप्त है। यह भूमि पूर्व में रैयत क डांगी [?] को बन्दोबस्त की गयी थी। द्वितीय पक्ष के द्वारा बन्दोबस्त वाली भूमि का क्रय करना न्यायोचित नहीं है।

iii) उक्त बन्दोबस्त की गयी भूमि को अन्य व्यक्तियों को भी दिलीप कुमार वर्मा के द्वारा अवैध बिक्री किया गया है जो विधि के विरुद्ध है।

Scanned with CamScanner

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3

iv) बन्दोबस्त वाली भूमि को खतियानी रैयती के द्वारा बिक्री करना विधि के विरुद्ध है।

v) C.S खाता-65 वर्तमान हाल सर्वे में अर्थात् R.S खाता में 271 दर्ज पाया गया जो "अनाबाद बिहार सरकार" की श्रेणी में पाया गया है।

vi) सम्पूर्ण जामताड़ा जिला में Revision Survey लागू है जहाँ R.S के अनुसार राजस्व संबंधी कार्यों का निष्पादन किया जाता है।

vii) सरकार के अधिसूचना के आलोक में वर्ष 2005 में Revision Survey लागू किया गया है।

उपर्युक्त सभी साक्ष्यों, सभी राजस्व दस्तावेजों, तर्कों एवं विभिन्न सरकारी अधिसूचना का अवलोकन के पश्चात मैं इस नतीजे पर आता हूँ कि R.S खाता 271, प्लाट-44, रकबा-6.01 ए० भूमि "अनाबाद बिहार सरकार" की श्रेणी में दर्ज पाये जाने के कारण उभय पक्षकारों को

Scanned with CamScanner

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर (16)	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य एवं दखल करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। द्वितीय पक्षकार जो भी संरचना किया है उसे दो सप्ताह में हटाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरुद्ध अतिक्रमणवाद आरंभ करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। चूंकि उक्त भूमि पूर्णतः सरकारी श्रेणी में पायी गयी है इसलिए उसका संरक्षण करना अति आवश्यक है। उभय पक्षकारों के द्वारा R.S खतियान प्रकाशन के निर्धारित अवधि तक सक्षम प्राधिकार के समक्ष अपील नहीं कर पाए इसलिए उभय पक्षकार व्यवहार न्यायालय में अपीलवाद दायर कर सकते हैं। अंचल के द्वारा पारित आदेश से उभय पक्षकारों एवं राजस्व कर्मी को अवगत कराएं। असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में अपील करने के लिए स्वतंत्र है।	
	लेखापित एवं संशोधित 8/2/23 अंचल अधिकारी बालूमाथ 8/2/23 अंचल अधिकारी बालूमाथ	

Digitally signed by Mohammad AFTAB ALAM
Date: 2023.02.13 13:25:02 +05:30
Location: 192.168.188.91

Scanned with CamScanner